ए.

दिल्ली परिवहन निगम

वी.

बलवान सिंह और हमारा।

(2014 की सिविल अपील सं. 7159)

बी.

फरवरी 26,2019

[एस**.** ए**.** बोबडे**,** संजय किशन कौल और दीपाक गुप्ता**,** जे**.** जे**.]**

केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972-आरआर।3(1)(क्यू), 21,27,28,49 (1)-प्रत्यर्थीगण, अपीलार्थी-निगम के पूर्व कर्मचारी, कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा शासित-कार्यालय आदेश दिनांक के अनुसार पेंशन योजना की शुरुआत।27.11.1992 – 1993 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी. आर. एस.) की घोषणा-इस योजना का लाभ उठाने के लिए, पात्रता शर्तों के लिए एक कर्मचारी को अपीलार्थी में 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी, या 40 साल की उम्र पूरी करनी होगी-योजना के खंड 4 का उपखंड (जी) कार्यालय आदेश डी. टी. डी. के अनुसार पेंशन लाभों के लिए प्रदान किया गया है। 27.11.1992 – प्रत्यर्थीगण ने वी. आर. एस. का लाभ उठाया-बिना प्राधिकरण के अनुपस्थित रहने की अवधि के बहिष्करण के कारण पेंशन के लिए हकदार नहीं ठहराया गया, जिस अवधि के लिए उन्हें वेतन का हकदार नहीं माना गया था-लिल्लू राम के मामले में इस तरह के बहिष्करण को बरकरार रखा गया था-बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार-आयोजित किया गयाःवी. आर. एस. स्वयं, विशेष रूप से खंड (जी), पेंशन नियमों को लागू करता है -आर. 21 स्पष्ट है, अर्थात "सेवा के दौरान सभी अवकाश जिनके लिए अवकाश वेतन देय है" गणना की जाएगी-यदि किसी कर्मचारी को अवकाश के लिए भुगतान नहीं किया जाता है, तो उस अवधि को पेंशन की स्वीकार्यता के लिए गणना की जाने वाली अवधि से बाहर रखा जाना चाहिए -आर. 3 (1) (क्यू), "योग्यता सेवा" को परिभाषित करते समय कर्तव्य पर रहते हुए प्रदान की गई सेवा के लिए प्रावधान करता है "या अन्यथा जो इन नियमों के तहत स्वीकार्य पेंशन और उपदान के उद्देश्य के लिए ध्यान में रखा जाएगा"-इस प्रकार, छुट्टी की अवधि जिसके लिए छुट्टी वेतन देय नहीं है, को बाहर रखा जाएगा-नियम स्पष्ट है और किसी भी दो

व्याख्याओं को नहीं रोकता है-पेंशन योजना को वी. आर. एस. से केवल कुछ महीने पहले शुरू करने की मांग की गई थी-इसे अंततः अपीलकर्ता द्वारा 1995 में बहुत बाद में लागू किया गया था-इस प्रकार, नियमों के संदर्भ में, सेवा रिकॉर्ड में इस छुट्टी अवधि के लिए कोई भी प्रविष्टियां करने का अवसर उस स्तर पर भी नहीं आया जब वी. आर. एस. लागू किया गया था-पेंशन नियमों का लाभ उठाने के लिए,

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

532 ए.

533

दिल्ली परिवहन निगम बनाम बलवान सिंह ए

कर्मचारी को नियमों के संदर्भ में अर्हता प्राप्त करनी चाहिए-प्रत्यर्थीगणओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी योग्यता सेवा से बाहर रखने की अवधि वह है जहां उन्हें स्वीकृत रूप से छुट्टी वेतन का भुगतान नहीं किया गया था-वी. आर. एस. के लिए योग्यता अवधि को उस योजना द्वारा नियंत्रित करना होगा और वास्तव में पेंशन नियमों के सादे शब्दों के विपरीत पेंशन की पात्रता में आयात नहीं किया जा सकता है-पेंशन नियम बहुत बाद में लागू हुए, हालांकि इरादा वी. आर. एस. से ठीक पहले घोषित किया गया था-प्रत्यर्थीगण इन नियमों द्वारा शासित नहीं थे, लेकिन कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा-परिणाम लिल्लू राम के मामले में समान हो सकता है, तर्क उस दृष्टिकोण से थोड़ा अलग है-विवादित आदेश को अलग कर दिया गया-स्टेटमेंट की व्याख्या

बी.

सी.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** वी**.** आर**.** एस**.** स्वयं**,** विशेष रूप से खंड **(**जी**),** इन नियमों को लागू करता है।नियम **21** अपनी शर्तों में बिल्कुल स्पष्ट है**,** यानी**,** "सेवा के दौरान सभी छुट्टी जिनके लिए छुट्टी का वेतन देय है" गिना जाएगा।परिणाम यह है कि यदि किसी कर्मचारी को छुट्टी

के लिए भुगतान नहीं किया जाता है, तो उस अवधि को पेंशन की स्वीकार्यता के लिए गणना की जाने वाली अवधि से बाहर रखा जाना चाहिए।नियम **3 (1) (**क्यू**),** "योग्यता सेवा" को परिभाषित करते हुए**,** कर्तव्य पर रहते हुए या अन्यथा प्रदान की गई सेवा के लिए प्रावधान करता है जिसे इन नियमों के तहत स्वीकार्य पेंशन और उपदान के उद्देश्य के लिए ध्यान में रखा जाएगा।**”** इस प्रकार**,** छुट्टी की अवधि जिसके लिए वेतन देय है**,** को पेंशन योग्य सेवा निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा**,** जबकि जिस अवधि के लिए छुट्टी वेतन देय नहीं है**,** उसे बाहर रखा जाएगा।नियम एकदम स्पष्ट है और किसी भी दो व्याख्याओं को स्वीकार नहीं करता है।जब किसी कानून के शब्द स्पष्ट और स्पष्ट होते हैं**,** तो शाब्दिक निर्माण के नियम के अलावा व्याख्या के किसी भी सिद्धांत का सहारा नहीं लिया जा सकता है।पेंशन नियमों के नियम **27** और **28** को संदर्भित करने का प्रयास कोई लाभ नहीं है**,** क्योंकि वे सेवा में व्यवधान के प्रभाव से निपट रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप पिछली सेवा को जब्त किया जा सकता है।वर्तमान मामले में**,** पिछली सेवा की कोई ज़ब्ती नहीं हुई है। **[**पैरा **20,21] [542-**जी**,** एच**; 543-**ए**-**सी**]**

डी.

ई.

एफ.

जी.

1.2 जहां तक सरकारी निर्णय दिनांक **28.2.1976** का संबंध है**,** जो सेवा रिकॉर्ड में शीघ्र प्रविष्टि की आवश्यकता को स्पष्ट करता है**,** लेकिन यह निश्चित रूप से

एच.

नियम बनाएँ।एस**.** आर**. 200,** एस**.** आर**. 202** और भारत सरकार के अन्य आदेश दिनांक **24.6.1966** के लिए स्थिति अलग नहीं होगी।यह कहना ठीक नहीं है कि केल्सन के कानूनी मानदंडों के पदानुक्रम के अनुसार**,** भारत का संविधान होने के नाते**,** लागू पदानुक्रम निम्नानुसार होगाः

“(1) भारत का संविधान।

बी.

(2) सांविधिक विधि**,** जो या तो संसदीय विधि या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि हो सकती है।

(3) प्रत्यायोजित विधान जो अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों, विनियमों आदि के रूप में हो सकता है।

सी.

(4) प्रशासनिक निर्देश जो जी. ओ., परिपत्र आदि के रूप में हो सकते हैं।"

वर्तमान मामले के दिए गए तथ्यों में, प्रत्यर्थीगण इन नियमों द्वारा नहीं, बल्कि कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा शासित थे।पेंशन योजना को वी. आर. एस. से कुछ महीने पहले ही शुरू करने की मांग की गई थी और वह भी **1995** तक लागू नहीं की गई थी।इतना ही नहीं, इसे एल. आई. सी. के माध्यम से लागू नहीं किया गया था, बल्कि अंततः स्वयं अपीलार्थी-निगम द्वारा, बहुत बाद में **1995** में लागू किया गया था।इस प्रकार, सेवा अभिलेख में इस अवकाश अवधि के लिए कोई भी प्रविष्टि करने का अवसर, नियमों के संदर्भ में, उस स्तर पर भी उत्पन्न नहीं हुआ था जब वी. आर. एस. लागू किया गया था।इन पहलुओं का कुछ महत्व हो सकता है यदि पेंशन नियम पहले से ही कुछ समय के लिए लागू होते और प्रविष्टियां नहीं की जातीं, हालांकि, वहां भी, यह नियम की साधारण भाषा के स्थान पर नहीं होता।**[**पारस **22,23] [543-**डी-एच**; 544-**ए, बी**]**

डी.

ई.

एफ.

1.3 पेंशन नियमों का लाभ उठाने के लिए, एक कर्मचारी को नियमों के अनुसार अर्हता प्राप्त करनी चाहिए।वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थीगण दुर्भाग्य से ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि जिस अवधि को उनकी योग्यता सेवा से बाहर रखने की मांग की जाती है, वह वह है जहां उन्हें छुट्टी वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।वी. आर. एस. के लिए योग्यता अवधि को उस योजना द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए और पेंशन नियमों के सरल शब्दों के विपरीत, इसे पेंशन की पात्रता में आयात नहीं किया जा सकता है।इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, इस तथ्य के अलावा कि पेंशन नियम वास्तव में बहुत बाद में लागू हुए, हालांकि इरादे की घोषणा की गई थी

जी.

एच.

535

दिल्ली परिवहन निगम बनाम बलवान सिंह ए

वी. आर. एस. से ठीक पहले। प्रत्यर्थीगणओं को इससे पहले कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा नियंत्रित किया जाता था।हालांकि परिणाम लिल्लूराम के मामले में समान हो सकता है, लेकिन हमारा तर्क उस दृष्टिकोण से थोड़ा अलग है।विवादित आदेश को अलग कर दिया जाता है।हालाँकि, किसी भी गंभीर कठिनाई से बचने के लिए, यदि प्रत्यर्थीगणओं को कोई भुगतान किया गया है, विशेष रूप से दिनांकित **23.7.2014** के अंतरिम आदेश को देखते हुए, अपीलकर्ता-निगम पहले से भुगतान की गई ऐसी राशि के किसी भी धनवापसी का दावा नहीं करेगा।**[**पैरा **24-27] [544-B-F]**

बी.

डी. टी. सी. बनामलिलू राम (2017) 11 एस. सी. सी. 407:[2007]

2 एससीआर 1092; स्वीडिश मैच एबी बनाम प्रतिभूति और

सी.

एक्सचेंज बोर्ड, इंडिया एयर (2004) एससी 4219:[2004] 3 पूरक।एस. सी. आर. 745-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2007] 2 एससीआर **1092**

संदर्भित किया गया है

पैरा **1**

डी.

[2004] 3 पूरक।पैरा **20** में निर्दिष्ट एस. सी. आर. **745**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2014 की सिविल अपील सं. 7159

2008 के एल. पी. ए. सं. 175 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 13.10.2011 के निर्णय और आदेश से।

ई.

सुश्री अविनाश अहलावत, डॉ. मोनिका गुसैन, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।नरोत्तम व्यास, एस. सी. वर्मा, टी. आर. बी. शिवकुमार, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एफ.

संजय किशन कौल, जे. 1.प्रत्यर्थीगण सभी पूर्व हैं -

अपीलार्थी/दिल्ली परिवहन निगम (संक्षेप में 'डीटीसी') के कर्मचारी, जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (संक्षेप में 'वीआरएस') का लाभ उठाया हो।हालाँकि, प्रत्यर्थीगणओं को उस अवधि के बहिष्करण के कारण पेंशन से वंचित कर दिया गया है जब वे प्राधिकरण के बिना अनुपस्थित रहे थे, जिसके लिए उन्हें वेतन का हकदार नहीं माना गया था।डी. टी. सी. बनामलिल्लूराम, 1 इस तरह के बहिष्कार को इस परिणाम के साथ बरकरार रखा गया था कि पूर्व कर्मचारियों को 10 साल की योग्यता सेवा पूरी नहीं करने पर पेंशन लाभ नहीं मिलेगा।वर्तमान अपील में, दो

जी.

1 (2017) 11 एस. सी. सी. 407

एच.

इस न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने लिलूराम के 2 मामले की जांच करने के बाद राय दी कि उस दृष्टिकोण की एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता थी।एक अनुक्रमणिका के रूप में, वर्तमान अपील हमारे सामने रखी गई है।

2. दिनांकित 9.11.2016 संदर्भ आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि लिल्लू राम 3 मामले में लिए गए दृष्टिकोण के साथ असहमति विभिन्न कारणों से उत्पन्न हुईः(क) यदि कर्मचारी को बिना वेतन छुट्टी स्वीकृत की गई है, तो ऐसी अवधि को अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि के रूप में क्यों माना जाना चाहिए; (ख) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 27 और 28 (इसके बाद 'पेंशन नियम' के रूप में संदर्भित) और मौलिक नियमों के एफ. आर. 17-ए जैसे प्रासंगिक नियमों पर विचार न करना; (ग) कर्मचारी को पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, जब तक कि उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा सेवा पुस्तिका में या अन्य नोटिस के माध्यम से सूचना नहीं दी जाती है, कि उसकी अनुपस्थिति को अनधिकृत अनुपस्थिति माना जाएगा और उसे पेंशन के लिए योग्यता सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा; (घ) वी. आर. एस. केवल 10 साल की सेवा पूरी होने पर ही अनुमत है और इस प्रकार, यह हो सकता है -

बी.

सी.

डी.

3. हमारे सामने इस मुद्दे के निर्धारण के लिए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी-निगम के कर्मचारी कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा शासित थे।कार्यालय आदेश No.16 दिनांक 27.11.1992 के संदर्भ में, केंद्र सरकार से मंजूरी प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू डीटीसी में एक पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी।यह पेंशन योजना डी. टी. सी. की ओर से एल. आई. सी. द्वारा संचालित की जानी थी और पेंशन योजना के प्रभाव की तारीख पूर्वव्यापी थी। 3.8.1981, मौजूदा कर्मचारियों और W. E. F. 3.8.1981 से सेवानिवृत्त होने वालों के लिए इस पेंशन योजना का विकल्प चुनने या कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा शासित बने रहने के विकल्प के साथ।संभावित रूप से, पेंशन योजना को अनिवार्य रूप से लागू करना था।हालांकि, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन योजना का विकल्प चुनने की स्थिति में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के तहत नियोक्ता के हिस्से को वापस करना आवश्यक था।

ई.

एफ.

जी.

4. ऐसा प्रतीत होता है कि सभी इरादों के बावजूद, जिस योजना को एल. आई. सी. द्वारा संचालित किया जाना था, उसे 1995 तक लागू नहीं किया गया था, जब इसे अपीलार्थी-निगम द्वारा ही लागू किया गया था।योजना की घोषणा के निकट अन्य विकास वी. आर. एस. की घोषणा थी

2 (ऊपर) 3 (ऊपर)

एच.

537

दिल्ली परिवहन निगम बनाम बलवान सिंह [संजय किशन कौल, जे.] ए.

ए.

3.3.1993 पर।इस योजना का लाभ उठाने के लिए, पात्रता शर्तों के तहत एक कर्मचारी को अपीलकर्ता-निगम में 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी, या 40 साल की उम्र पूरी करनी होगी।योजना के खंड 4 का उपखंड (जी) कार्यालय आदेश No.16 दिनांक 27.11.1992 के अनुसार पेंशन लाभों के लिए प्रदान किया गया है।

5. ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों पहलुओं के संबंध में, विभिन्न खातों पर, अन्य बातों के साथ-साथ उन व्यक्तियों के लिए पेंशन के लिए पात्रता के मुद्दे पर काफी मुकदमेबाजी हुई, जिन्होंने 10 साल या उससे अधिक की योग्यता सेवा दी थी, लेकिन 20 साल से कम।इन सभी विभिन्न मुद्दों को दिल्ली उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में सुलझा लिया गया है।यह कहने के लिए पर्याप्त है कि अब कोई विवाद नहीं है, न्यायिक घोषणाओं को

देखते हुए कि पेंशन नियमों में कोई प्रतिबंध नहीं है कि एक कर्मचारी जिसने 10 साल से अधिक लेकिन 20 साल से कम की सेवा की है, अगर वह वी. आर. एस. का लाभ उठाता है तो उसे आनुपातिक पेंशन मिलेगी।

बी.

सी.

6. जहाँ तक वर्तमान विवाद का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों के पक्ष में राय दी और एसएलपी को तब तक कानून के प्रश्न को खुला छोड़ते हुए खारिज कर दिया गया जब तक कि अपीलार्थी-निगम ने यह इंगित नहीं किया कि इस पहलू पर आने वाले बड़ी संख्या में मामलों को देखते हुए कानून के प्रश्न को निपटाने की आवश्यकता है।इन परिस्थितियों में लिल्लूराम के 4 मामले में इस मुद्दे की जांच की गई थी।पेंशन नियमों के नियम 3 (1) (क्यू) का संदर्भ दिया गया था, जो इस प्रकार हैः

डी.

ई.

“3. परिभाषाएँः

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो -

(1) (a) से (p) XXX

XXXX

XXXX

XXXX

एफ.

(क्यू) 'योग्यता सेवा' का अर्थ है कर्तव्य पर रहते हुए या अन्यथा प्रदान की गई सेवा जिसे इन नियमों के तहत स्वीकार्य पेंशन और उपदान के उद्देश्य के लिए ध्यान में रखा जाएगा;

7. यह राय दी गई थी कि चूंकि ली गई छुट्टी को एक अनधिकृत कर्मचारी के कर्तव्य से अनुपस्थिति के रूप में माना जाता था, इसलिए उस अवधि को "योग्यता सेवा" के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए क्योंकि "योग्यता सेवा" की परिभाषा का अर्थ है कर्तव्य पर या अन्यथा प्रदान की गई सेवा।चूंकि पेंशन नियमों को अपनाया गया था, इसलिए पात्रता निर्धारित करने के लिए पेंशन नियमों के प्रावधानों को लागू करना होगा।पेंशन नियमों के नियम 49 (1) का भी संदर्भ दिया गया था, जो इस प्रकार हैः

जी.

“49. पेंशन की राशिः

(1) दस साल की योग्यता सेवा पूरी करने से पहले इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के मामले में, सेवा उपदान की राशि की गणना योग्यता सेवा की प्रत्येक पूरी की गई छह मासिक अवधि के लिए आधे महीने के परिलब्धी की दर से की जाएगी।”

बी.

इस प्रकार यह निष्कर्ष निकला कि मंजूरी के बिना अनुपस्थिति अनधिकृत छुट्टी है, जिसे पेंशन की स्वीकार्यता के लिए 10 साल की योग्यता सेवा की अवधि निर्धारित करने के लिए योग्यता सेवा की अवधि से बाहर रखना होगा, और जब कोई व्यक्ति 10 साल की सेवा पूरी करने पर वी. आर. एस. लेने का हकदार है, तो इसका वास्तविक अर्थ यह नहीं होगा कि इस अवधि को पेंशन की स्वीकार्यता के उद्देश्यों के लिए भी गिना जाएगा।

सी.

8. अपीलार्थी-निगम की ओर से, विद्वान अधिवक्ता ने नियम 21 से अपने तर्क के लिए समर्थन प्राप्त करने की मांग की, जो निम्नानुसार हैः

डी.

“21. छुट्टी पर बिताए गए समय की गिनती

सेवा के दौरान सभी अवकाश जिनके लिए छुट्टी वेतन देय है [और चिकित्सा प्रमाण पत्र पर दिए गए सभी असाधारण अवकाश] को योग्यता सेवा के रूप में गिना जाएगाः

ई.

बशर्ते कि असाधारण छुट्टी (चिकित्सा प्रमाण पत्र पर दी गई असाधारण छुट्टी के अलावा) के मामले में, नियुक्ति प्राधिकरण, ऐसी छुट्टी देने के समय, उस छुट्टी की अवधि को योग्यता सेवा के रूप में गिनने की अनुमति दे सकता है यदि ऐसी छुट्टी किसी सरकारी कर्मचारी को दी जाती है -

एफ.

((i) छोड़ दिया गया।

((ख) नागरिक हंगामे के कारण ड्यूटी में शामिल होने या फिर से शामिल होने में असमर्थता के कारण; या

((iii) उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययनों के लिए अभियोजन।"9. इस प्रकार, उनका तर्क था कि जब नियम स्वयं स्पष्ट है कि पेंशन के लिए अवधि की गिनती, ली गई छुट्टी के संबंध में, केवल वहीं स्वीकार्य होगी जहां "छुट्टी वेतन देय है", और परंतुक में निर्धारित केवल दो अपवाद हैं, तो यह इस न्यायालय के लिए नियम से जोड़ना या घटाना नहीं था।

जी.

एच.

539

दिल्ली परिवहन निगम बनाम बलवान सिंह [संजय किशन कौल, जे.] ए.

ए.

10. उन्होंने आगे तर्क दिया कि पेंशन नियमों के नियम 27 और 28 का संदर्भ उचित नहीं होगा क्योंकि वे प्रावधान सेवा में व्यवधान के प्रभाव और सेवा में व्यवधान को माफ करने से संबंधित हैं।नियम इस प्रकार हैं:

"27. सेवा में व्यवधान का प्रभाव

बी.

(1) एक सरकारी कर्मचारी की सेवा में बाधा आने पर उसकी पिछली सेवा को जब्त कर लिया जाता है, सिवाय निम्नलिखित मामलों के:- (क) अनुपस्थिति की अधिकृत छुट्टी;

(बी) अनुपस्थिति की अधिकृत छुट्टी जारी रखने में अनधिकृत अनुपस्थिति जब तक कि अनुपस्थित व्यक्ति का पद पर्याप्त रूप से नहीं भरा जाता है; (सी) निलंबन, जहां इसके तुरंत बाद बहाली होती है, चाहे वह उसी पद पर हो या किसी अन्य पद पर, या जहां सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या उसे सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जाती है या निलंबन के दौरान अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाता है;

सी.

डी.

(घ) सरकार के नियंत्रण में किसी प्रतिष्ठान में गैर-योग्य सेवा में स्थानांतरण यदि इस तरह के हस्तांतरण का आदेश जनहित में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया है;

(ई) एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण के दौरान शामिल होने का समय।(2)उप-नियम (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, [नियुक्ति प्राधिकारी], आदेश द्वारा, बिना छुट्टी के

अनुपस्थिति की अवधि को असाधारण छुट्टी के रूप में पूर्वव्यापी रूप से परिवर्तित कर सकता है।

ई.

28. सेवा में व्यवधान की निंदा

(क) सेवा पुस्तिका में इसके विपरीत एक विशिष्ट संकेत के अभाव में, रक्षा सेवा अनुमानों या रेलवे अनुमानों से प्रदान की गई और भुगतान की गई सिविल सेवा सहित सरकार के तहत एक सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सिविल सेवा के दो कार्यकालों के बीच व्यवधान को स्वचालित रूप से माफ कर दिया जाएगा और पूर्व-व्यवधान सेवा को योग्यता सेवा के रूप में माना जाएगा।(ख) खंड (क) में कुछ भी त्यागपत्र, बर्खास्तगी या सेवा से हटाने या हड़ताल में भाग लेने के कारण होने वाले व्यवधान पर लागू नहीं होगा।

एफ.

जी.

(ग) खंड (क) में निर्दिष्ट व्यवधान की अवधि को योग्यता सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा।"

एच.

11. इस प्रकार, तर्क यह था कि सेवा में व्यवधान के कारण पिछली सेवा को जब्त कर लिया जाएगा, जब तक कि यह पेंशन नियमों के नियम 27 के उप-नियम (1) के खंड (ए) से (ई) के भीतर नहीं आता है।

12. मौलिक नियमों का एफ. आर. 17-ए पेंशन नियमों के नियम 27 के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना अनधिकृत अनुपस्थिति से भी संबंधित है, लेकिन उनमें से कोई भी प्रावधान वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू नहीं होगा।

बी.

13. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगणओं के विद्वान अधिवक्ता ने भारत सरकार के निर्णय एम. एफ., ओ. एम. No.F.11 (3)-ई. की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। वी (ए)/76 दिनांक 28.2.1976, जिसे पेंशन नियमों के नियम 21 के ठीक नीचे "भारत सरकार के निर्णयों" के रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार हैः

सी.

" भारत सरकार के निर्णय

(1) पेंशन लाभों के लिए असाधारण अवकाश के उपचार के लिए उचित प्रविष्टियां करने की आवश्यकता है।**-** नियम के तहत

डी.

21 सी. सी. एस. (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार, चिकित्सा प्रमाण पत्र पर दी गई असाधारण छुट्टी पेंशन के लिए योग्य है।नियुक्ति प्राधिकरण, असाधारण छुट्टी देते समय, ऐसी छुट्टी की अवधि को पेंशन के लिए अर्हता के रूप में गिनने की भी अनुमति दे सकता है यदि छुट्टी किसी सरकारी कर्मचारी को दी जाती है -

ई.

((i) नागरिक हंगामे के कारण ड्यूटी में शामिल होने या फिर से शामिल होने में असमर्थता के कारण, या

((ii) उच्च तकनीकी और वैज्ञानिक अध्ययनों पर मुकदमा चलाने के लिए।

अन्य आधारों पर ली गई असाधारण छुट्टी को गैर-योग्य माना जाता है और इसलिए, उस प्रभाव के लिए सेवा रिकॉर्ड में एक निश्चित प्रविष्टि की जानी चाहिए।सेवा के योग्य होने या अन्यथा होने के संबंध में प्रविष्टियां आयोजन के साथ-साथ की जानी चाहिए।जहां ऐसा नहीं किया जाता है, वहां भी प्रारंभिक कार्रवाई के लिए अनुमत अवधि के दौरान चूक को सुधारना संभव होना चाहिए, यानी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो साल पहले से सेवानिवृत्ति से आठ महीने पहले तक।हालाँकि, उस अवधि के अंत में (यानी जब पेंशन पत्रों की वास्तविक तैयारी हाथ में ली जाती है), पिछली घटनाओं की आगे कोई जांच या पिछले रिकॉर्ड की जांच नहीं की जानी चाहिए।गैर-योग्यता अवधि के संबंध में सेवा अभिलेखों में विशिष्ट प्रविष्टियों पर ध्यान दिया जाएगा और ए

एफ.

जी.

एच.

ऐसी अवधियों को सेवा से बाहर रखा गया है।इस तरह की विशिष्ट प्रविष्टियों द्वारा कवर नहीं किए गए असाधारण अवकाश के सभी कार्यकालों को योग्यता सेवा माना जाएगा।"

14. विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि सेवानिवृत्ति से पहले 8 महीने तक सेवा रिकॉर्ड में एक निश्चित प्रविष्टि की आवश्यकता होती है।इस तरह की विशिष्ट प्रविष्टि के दायरे में नहीं आने वाले असाधारण अवकाश के सभी हिस्सों को योग्यता सेवा माना जाएगा।

बी.

15. विद्वान अधिवक्ता ने पूरक नियमों के एस. आर. 200 (जिसे इसके बाद 'एस. आर.' के रूप में संदर्भित किया गया है) की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया, जो नीचे दिया गया हैः

सी.

“एस. आर. 200 रोजगार से निलंबन की प्रत्येक अवधि और सेवा में हर अन्य व्यवधान को सेवा पुस्तिका के पृष्ठ पर की गई प्रविष्टि में इसकी अवधि के पूर्ण विवरण के साथ नोट किया जाना चाहिए और इसे सत्यापन अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।यह देखना सत्यापन अधिकारी का कर्तव्य है कि ऐसी प्रविष्टियाँ तुरंत की जाती हैं।”16. विद्वान अधिवक्ता ने भारत सरकार के आदेश No.M.F, O. M. No.F.18 (7)-E का भी उल्लेख किया। वी (बी)/65-भाग-वी दिनांकित 24.6.1966, जिसका प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया हैः

डी.

“ भारत सरकार के आदेश

(1) सेवाओं का वार्षिक सत्यापन।**-**

ई.

XXXXXXXXXXXXX

नोट 2.– पेंशन या सरकारी कर्मचारी की पेंशन योग्य सेवा को प्रभावित करने वाले प्रश्न, जो उनके निर्णय के लिए उस समय ज्ञात परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, जैसे ही वे उत्पन्न होते हैं, उन पर विचार किया जाना चाहिए और सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने या सेवानिवृत्त होने तक विचार के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए।ऐसे सभी प्रश्नों पर, जहां भी आवश्यक हो, लेखा परीक्षा अधिकारी और/या लेखा अधिकारी के परामर्श से निश्चित निर्णय लिए जाने चाहिए और सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के संदर्भ में सेवा पुस्तिका में दर्ज किए जाने चाहिए।

एफ.

जी.

.....”

(2) पेंशन के भुगतान में देरी को समाप्त करने के लिए सेवा पुस्तिका के उचित रखरखाव की आवश्यकता है।–

XXXXXXXXXXXXX

एच.

542

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 4 एस सी आर।

3. असाधारण अवकाश की अवधि या सेवा में अवकाश से पहले की अवधि को पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के रूप में गिनने या अन्यथा करने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के आदेश हमेशा उसी समय प्राप्त किए जाने चाहिए जब अवसर उत्पन्न होता है न कि बाद में।इस तरह के आदेश सेवा पुस्तिका में लिखे जाने चाहिए।जब तक सेवा पुस्तिका में अन्यथा नहीं दिखाया गया है, यह माना जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्राप्त हो गए हैं और असाधारण अवकाश की अवधि और सेवा में विराम से पहले की अवधि को पेंशन के लिए गिना जाएगा।

बी.

....."17. इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता ने सेवा की अवधि और सेवा पुस्तिका में की गई प्रविष्टि के पूर्ण विवरण के साथ सेवा के प्रत्येक व्यवधान के महत्व पर जोर दिया, साथ ही सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने या सेवानिवृत्त होने तक पेंशन या पेंशन योग्य सेवा को प्रभावित करने वाले प्रश्न पर विचार करने की अयोग्यता पर भी जोर दिया।

सी.

18. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि संभवतः, प्रत्यर्थीगणओं ने वी. आर. एस. का लाभ नहीं उठाया होगा यदि उन्हें बताया गया होता कि अपीलार्थी-निगम द्वारा ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, और बाद में उन्हें इससे वंचित करना अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा, इसके अलावा यह उन्हें बिना किसी सूचना के एक प्रतिकूल निर्णय होगा।

डी.

ई.

19. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों और लिलूराम के 5 मामले में निर्णय और संदर्भ आदेश dated9.11.2016 की जांच की है।

20. हमारे विचार में, एकमात्र पहलू जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह है पेंशन नियमों के विशिष्ट नियम की आवश्यकता, जो पेंशन की स्वीकार्यता का प्रावधान करता है। प्रत्यर्थीगण सहित किसी को भी यह दलील देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वे पेंशन नियमों से अनजान होंगे, जिनके पास एक वैधानिक बल है और जिनका लाभ वे लेना चाहते हैं।वास्तव में, वी. आर. एस. स्वयं, विशेष रूप से खंड (जी), इन नियमों को लागू करता है। नियम 21 अपनी शर्तों में बिल्कुल स्पष्ट है, यानी, "सेवा के दौरान सभी छुट्टी जिनके लिए छुट्टी का वेतन देय है" गिना जाएगा।परिणाम यह है कि यदि किसी कर्मचारी को छुट्टी के लिए भुगतान नहीं किया जाता है, तो उस अवधि को पेंशन की स्वीकार्यता के लिए गणना की जाने वाली अवधि से बाहर रखा जाना चाहिए।नियम 3 (1) (क्यू), "योग्यता सेवा" को परिभाषित करते हुए प्रदान की गई सेवा के लिए प्रावधान करता है।

एफ.

जी.

5 (ऊपर)

एच.

543

दिल्ली परिवहन निगम बनाम बलवान सिंह [संजय किशन कौल, जे.] ए.

ए.

कर्तव्य पर रहते हुए या अन्यथा जिसे इन नियमों के तहत स्वीकार्य पेंशन और उपदान के उद्देश्य के लिए ध्यान में रखा जाएगा।" इस प्रकार, छुट्टी की अवधि जिसके लिए वेतन देय है, को पेंशन योग्य सेवा निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा, जबकि जिस अवधि के लिए छुट्टी वेतन देय नहीं है, उसे बाहर रखा जाएगा।नियम एकदम स्पष्ट है और किसी भी दो व्याख्याओं को स्वीकार नहीं करता है।यह व्याख्या का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि जब किसी क़ानून के शब्द स्पष्ट और स्पष्ट होते हैं, तो शाब्दिक निर्माण के नियम के अलावा व्याख्या के किसी भी सिद्धांत का सहारा नहीं लिया जा सकता है।6

बी.

21. पेंशन नियमों के नियम 27 और 28 को संदर्भित करने का प्रयास कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वे सेवा में व्यवधान के प्रभाव से निपट रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप पिछली सेवा को जब्त किया जा सकता है।वर्तमान मामले में, पिछली सेवा की कोई ज़ब्ती नहीं हुई है।

सी.

22. जहाँ तक सरकारी निर्णय दिनांक 28.2.1976 का संबंध है, वह सेवा अभिलेख में शीघ्र प्रविष्टि की आवश्यकता को स्पष्ट करता है, लेकिन यह निश्चित रूप से नियम का स्थान नहीं ले

सकता है।एस. आर. 200, एस. आर. 202 और भारत सरकार के अन्य आदेश दिनांक 24.6.1966 के लिए स्थिति अलग नहीं होगी।यह कहना ठीक नहीं है कि केल्सन के कानूनी मानदंडों के पदानुक्रम के अनुसार, ग्रंडनोर्म, भारत का संविधान होने के नाते, लागू पदानुक्रम निम्नानुसार होगाः"(1) भारत का संविधान।

डी.

ई.

(2) सांविधिक विधि, जो या तो संसदीय विधि या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि हो सकती है।

(3) प्रत्यायोजित विधान जो अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों, विनियमों आदि के रूप में हो सकता है।

एफ.

(4) प्रशासनिक निर्देश जो जी. ओ., परिपत्र आदि के रूप में हो सकते हैं।"

23. वर्तमान मामले के दिए गए तथ्यों में, हमें एक महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देना होगा, अर्थात, प्रत्यर्थीगण इन नियमों द्वारा नहीं, बल्कि कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा शासित थे।पेंशन योजना को वी. आर. एस. से कुछ महीने पहले ही शुरू करने की मांग की गई थी और वह भी 1995 तक लागू नहीं की गई थी।इतना ही नहीं, इसे एल. आई. सी. के माध्यम से लागू नहीं किया गया था, बल्कि अंततः स्वयं अपीलार्थी-निगम द्वारा, बहुत बाद में 1995 में लागू किया गया था।इस प्रकार, अवसर

जी.

6 स्वीडिश मैच एबी बनाम प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारत आकाशवाणी (2004) एससी 4219

एच.

सेवा अभिलेख में इस अवकाश अवधि के लिए कोई भी प्रविष्टि करना, नियमों के संदर्भ में उस स्तर पर भी उत्पन्न नहीं हुआ था जब वी. आर. एस. लागू किया गया था।इन पहलुओं का कुछ महत्व हो सकता है यदि पेंशन नियम पहले से ही कुछ समय के लिए लागू होते और प्रविष्टियां नहीं की जातीं, हालांकि, वहां भी, यह नियम की साधारण भाषा के स्थान पर नहीं होता।

बी.

24. इस प्रकार, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि पेंशन नियमों का लाभ उठाने के लिए, एक कर्मचारी को नियमों के अनुसार अर्हता प्राप्त करनी चाहिए। वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थीगण दुर्भाग्य से ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि जिस अवधि को उनकी योग्यता सेवा से बाहर रखने की मांग की जाती है, वह वह है जहां उन्हें छुट्टी वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।वी. आर. एस. के लिए योग्यता अवधि को उस योजना द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए और पेंशन नियमों के सरल शब्दों के विपरीत, इसे पेंशन की पात्रता में आयात नहीं किया जा सकता है।हम इसमें कोई विरोधाभास नहीं देखते हैं, इस तथ्य के अलावा कि पेंशन नियम वास्तव में बहुत बाद में लागू हुए, हालांकि इरादे की घोषणा वी. आर. एस. से ठीक पहले की गई थी। प्रत्यर्थीगणओं को इससे पहले कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा नियंत्रित किया जाता था।

सी.

डी.

25. हालाँकि, हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि परिणाम लिल्लूराम के 7 मामले के समान हो सकता है, लेकिन हमारा तर्क उस दृष्टिकोण से थोड़ा अलग है।

ई.

26. हम, इस प्रकार, अपील की अनुमति देते हैं और पक्षकारों को अपना खर्च वहन करने के लिए छोड़ते हुए विवादित आदेश को दरकिनार कर देते हैं।

27. हालाँकि, किसी भी गंभीर कठिनाई से बचने के लिए, यदि प्रत्यर्थीगणओं को कोई भुगतान किया गया है, विशेष रूप से दिनांकित 23.7.2014 के अंतरिम आदेश को देखते हुए, अपीलकर्ता-निगम पहले से भुगतान की गई ऐसी राशि के किसी भी धनवापसी का दावा नहीं करेगा।

एफ.

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

जी.

7 (ऊपर)

एच.